संख्या-40 /2021/1475जेएल/22-3-2021-100(20)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* *लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2021*

विषय- जिला कारागार बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदीगण (1)-चन्दन राय पुत्र श्री विनय राय, (2)-अभिषेक यादव उर्फ खुददी पुत्र श्री राजेन्द्र यादव एवं (3)-शेरा कुँवर पुत्र श्री विक्रम कुँवर को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बलिया के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या-1645/आ0ले0जि0-न्या0सहा0, दिनांक 08-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या एवं की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार बलिया में निरूद्ध निम्नलिखित 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0 | सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी का नाम एवं पिता का नाम | निरूद्धि की कारागार | स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | चन्दन राय पुत्र श्री विनय राय | जिला कारागार बलिया | केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ |
| 2 | अभिषेक यादव उर्फ खुददी पुत्र श्री राजेन्द्र यादव | जिला कारागार बलिया | केन्द्रीय कारागार बरेली |
| 3 | शेरा कुँवर पुत्र श्री विक्रम कुँवर | जिला कारागार बलिया | जिला कारागार कासगंज |

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव ।

संख्या-40/2021/1475जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया, फर्रूखाबाद, बरेली एवं कासगंज।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बलिया, फर्रूखाबाद, बरेली एवं कासगंज।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ एवं बरेली
6- अधीक्षक, जिला कारागार बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार बलिया से सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in